संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

पुराना नर्सिंग हॉस्टल, मंत्रालय परिसर,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001

महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र अक्टूबर 2011 हेतु विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन राज्य के महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में वर्ष 2011 का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र केवल महिला उम्मीदवारों से दिंनाक 12.10.2011 तक संलग्न प्रारूप परिशिष्ट "अ" में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध श्रेणीवार सीटों की संख्या परिशिष्ट "ब" के अनुसार है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक, ए.डी./स्पीड पोस्ट से ही भेजे जाये (अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रवेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ–16–1/2001/नौ/55 रायपुर दिनांक 9.9.2011 में प्रावधानित प्रकिया एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

नियम व शर्ते

01. महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र की कालावधि 1 ½ वर्ष की होगी।

02. प्रशिक्षण प्राप्त करने का माध्यम हिन्दी होगा।

03. प्रशिक्षण के दौरान शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु 1500/– प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी।

04. **शैक्षणिक अर्हता** : आवेदिका को 10+2 शिक्षा पद्धति में नियमित परीक्षा 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

05. **आयु – सीमा**

अ 30 जुलाई 2011 को न्युनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए ।
अधिकतम आयु ऐसे आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 31 दिसम्बर 2011 को 30 वर्ष पूर्ण न कर ली हो ।

ब. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

स. सेवारत आवेदक के लिए आयु–सीमा में पाँच वर्ष की छूट होगी।

06. **आरक्षण**

अ विभिन्न श्रेणियों हेतु सीटों का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलेवार तृतीय श्रेणी के पदो पर भर्ती किये जाने हेतु निर्धारित तत्समय प्रचलित आरक्षण रोस्टर के आधार पर, जिलेवार शासन के अनुमोदन से किया गया है।।

ब. सेवारत आवेदको हेतु शासकीय संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षित है। इनमें से 40 प्रतिशत स्थान मितानिनों एवं 10 प्रतिशत स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आरक्षित है।

07. **चयन प्रकिया**

(1) महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश 12वीं कक्षा के प्राप्ताको के प्रतिशत के प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जाएगा ।

(2) सेवारत आवेदक के लिए अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(3) जिलेवार चयन :–सर्वप्रथम जिले के मूल निवासी सभी पात्र अभ्यर्थियों को जिले की निर्धारित सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। तदोपरांत सीटें रिक्त

राज्य कार्यकम अधिकारी (प्रशि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

रहने की दशा में जिले के गैर मूल निवासी (छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले के मूल निवासी) अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के सभी उम्मीदवारों को प्रावीण्यता सूची के आधार पर आबंटन पश्चात् तथा गैर मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची के आधार पर केवल निजी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जा सकेगा।

(4) प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। इसके उपरातं दावा आपत्ति हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाएगा तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(5) अभ्यर्थी को अलग–अलग जिलों के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को उसके मूल निवास के जिले की सीट आबंटित नहीं होती है उसने अन्य जिले में आवेदन किया हो तो वह वहाँ की काउंसिलिंग में भी भाग ले सकता है। परंतु ऐसी दशा में उस ऐसे अन्य जिले के सभी पात्र मूल निवासी अभ्यर्थियों को सीटें आबंटित होने के उपरांत सीटें रिक्त रह जाने पर ही आबंटन की पात्रता होगी।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	12.10. 2011
प्रावधिक मेरिट सूची का प्रकाशन	15.10.2011
दावे आपत्ति की अंतिम तिथि	21.10.2011
अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	24.10.2011
काउंसिलिंग की तिथि	विज्ञापन द्वारा जिलेवार तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
रायपुर, छत्तीसगढ़

राज्य कार्यक्रम अधिकारी (प्रशि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट "अ"

आवेदन पत्र का प्रारूप

Passport size photo
Attested by
gazzetted officer

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला –
छत्तीसगढ़

01. आवेदित पद का नाम – महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण (आवेदन पत्र के लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जावे।)
02. आवेदक का नाम :– ....
03. पिता/पति का नाम :– ....
04. जन्म तिथि (शब्दों में), :– ....
(अंको में) :– ....
05. जाति वर्ग – सामान्य/अ.ज.जा/अ.जा/अ.पि.वर्ग :– ....
06 निवास व जिला (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
07 स्थाई पता :– ....
....
08 वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित) :–
09 12वीं कक्षा में अध्ययन का विवरण :–

क्र.	बोर्ड	विद्यालय का नाम व जिला	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

10 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो –
01. 10 वीं एवं 12वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
02. मूल निवासी प्रमाण पत्र। (जिसमें निवास के जिले का स्पष्ट उल्लेख हो)
03 सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक बोर्ड का प्रमाणपत्र अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग या निशक्तता का प्रमाणपत्र आवश्यकतानुसार।
04 जाति प्रमाण पत्र(आरक्षित वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा गठित जाति सत्यापन समिति के प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
05 शासकीय सेवा अवधि हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है, यदि विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है तों प्रशिक्षण के पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा दण्ड जो वह उचित समझे के लिए मै उत्तरदायी रहूंगी।

स्थान : ....
दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....

राज्य कार्यक्रम अधिकारी (प्रशि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन 2011

संभाग	जिला	जिलेवार सीटों का आबंटन	शास. / निजी (शास.नियतांश)		आरक्षण			
					अना.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.पि.व.
रायपुर संभाग	राजनांदगांव	70	शास.	60	30	15	7	8
			निजी	10	5	3	1	1
	दुर्ग	90	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	90	55	11	12	12
	रायपुर	90	शास.	35	18	7	5	5
			निजी	55	29	10	9	7
	कवर्धा	30	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	30	15	6	5	4
	महासमुंद	60	शास.	30	15	6	5	4
			निजी	30	16	6	4	4
	धमतरी	40	शास.	40	21	8	6	5
			निजी	0	0	0	0	0
बिलासपुर संभाग	बिलासपुर	88	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	88	38	21	17	12
	रायगढ़	70	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	70	19	33	9	9
	जांजगीर चांपा	50	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	50	21	11	11	7
	कोरबा	50	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	50	21	11	11	7
सरगुजा संभाग	सरगुजा	90	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	90	24	48	6	12
	कोरिया	30	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	30	7	17	2	4
	जशपुर	40	शास.	3	1	2	0	0
			निजी	37	12	14	6	5
बस्तर संभाग	जगदलपुर	90	शास.	8	1	5	1	1
			निजी	82	10	56	5	11
	कांकेर	60	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	60	8	40	4	8
	दंतेवाड़ा	60	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	60	8	40	4	8
	नारायणपुर	26	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	26	4	17	2	3
	बीजापुर	40	शास.	0	0	0	0	0
			निजी	40	6	26	3	5
कुल योग (शास. / निजी (शास.नियतांश))		1074*		1074	384	413	135	142
निजी संस्थाओं की कुल खुली (Open)सीटें		896*		-	-	-	-	-
महायोग (कुल सीटे)		1970*		1074	384	413	135	142

* सीटों की संख्या परिवर्तनीय है।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी (प्रशि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़